न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट कुराड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास

मि0न0: 12/2015 निर्णय दिनांक-12/05/

1– प्रदीप कुमार पुत्र मोतीशंकर नाबालिग जाति धाकड

2– ललित कुमार पुत्र मोतीशंकर नाबालिग जाति धाकड नाबालिंग की वली माता खुद राजेश बाई पत्नि मोतीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम कुराड तह0 कनवास

– वादी

बनाम

मोतीशंकर पुत्र गणपत उम्र 46 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम कुराड तह0 कनवास जिला कोटा ( राज0)

– प्रतिवादी

**वाद अर्न्तगत धारा 188 आरटीएक्ट**

दिनांक 12/05/16

वादीगण द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 188 आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड पटवार हल्का कुराड तह0 कनवास में खाता न. 464 की खसरा न. 625 0.61 है. ख.न. 627 की 0. 01 ख.न. 628 की 0.55 है. उत्तरी तरफ की तथा ख.न. 629 की 2.03 है0 पश्चिमी तरफ की कुल किता 4 कि कुल रकबा 3.20 है आराजी स्थित है।

वादीगण को उपरोक्त आराजी वादीगण की दादी शांतिबाई से दान पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है तथा उसी समय वादीगण की द्वारा प्रतिवादी मोतीशंकर को भी ( जो कि वादीगण के पिता है।) दानपत्र के माध्यम से ख.न. 628 की 2.15 है0 दक्षिणी तरफ की

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आराजी दी गई थी । वादीगण को अपने खाते की आराजी में पिलाई हेतु ख.न. 628 में ही उत्तरी तरफ लगे हुऐ ट्युबवैल को भी वादीगण को मय विधुत मोटर कनेक्शन दिया गया था जिसका ख.न. 627 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 ट्युबवैल है जो वादीगण के कब्जें एवं स्वामित्व मे है। अतः वादी के पक्ष प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि में स्थित ट्युबवैल से जबरन पानी लेने की हिमाकत नही करे उक्त कार्य न तो स्वंय करे तथा नही अन्य किन्ही एजेन्टों के माध्यम सें करवायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रकारण आज दिनांक 12.5.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित केम्प ग्राम पंचायत कुराड में पेश हुई । प्रतिवादी को तलब किया गया । प्रतिवादी मोतीशंकर आ0 गणपत लाल जाति धाकड निवासी कुराड द्वारा उपस्थित होकर बयान किया की वादीगण मेंरे पुत्र व पत्नि है। ववादग्रस्त भूमि मेरी मॉ शांतिबाई के नाम से दर्ज थी जिसके मेरी बहिने मेरी पत्नि बेचने पर आमादा थी। मेरी मॉ शांतिबाई द्वारा मेरी पत्नि राजेशबाई के नाम सें एक अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 20.6.2007 को करवाई गई। मेंरी मॉ द्वारा मेरी पत्नि एवं मेरे नाम से अलग अलग भूमि कर दी है मेरे द्वारा टयुबवैल से किसी को पानी लेने इत्याद्वि से नही रोका गया हैं।

वाद में प्रस्तुत रेकार्ड एवं गवाहान एवं जवाब इत्याद्वि का अवलोकन किया गया । प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद में अंकित किया प्रतिवादी पानी को मोटर से जबरन पानी लेता है मोटर खराब होने पर ठीक नही करवाता बिजली का बिल इत्याद्वि भी वादीगण को ही देना पडता है। अतः वादी के पक्ष प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि में स्थित ट्युबवैल से जबरन पानी लेने की हिमाकत नही करे उक्त कार्य न तो स्वंय करे तथा नही अन्य किन्ही एजेन्टों के माध्यम सें करवायें । वादीगण वाद में चाही गई सहायता इस वाद में दिया जाना संभव नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण पिता पुत्र है वादीगण द्वारा भी वाद में स्वीकार किया है दादी द्वारा दी गई भूमि पर कब्जे काश्त हैं । वादी द्वारा चाही गई सहायता उक्त प्रकरण में दिया जाना संभव नही हैं अतः दावावादी खारिज किया जाता हैं ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)
कनवास

उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा